



जनपद बिजनौर

प्रेसनोट-थाना चांदपुर

दिनांक 05.05.2026

**थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 241/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/64(1)/319(2) बीएनएस, धारा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट तथा धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

### घटना एवं कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 02.05.2026 को वादिनी द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गई कि अभियुक्त शादाब पुत्र अफसर निवासी ग्राम कमालपुर, थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर द्वारा अपना नाम अंकुश बताकर उसके साथ छलपूर्वक प्रेम संबंध स्थापित कर गलत कार्य किया गया तथा धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने का प्रयास किया गया, जिसमें अभियुक्त शादाब उपरोक्त द्वारा वादिया को धर्म परिवर्तन न करने पर गाली-गलौज करते हुए अश्लील फोटो/वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई।

वादिया द्वारा इसका विरोध करने अभियुक्तगण 1. शादाब पुत्र अफसर, 2. शहजाद पुत्र इस्लामुद्दीन, 3. अफसर पुत्र अलीशेर, 4. फईम पुत्र अफसर निवासीगण ग्राम कमालपुर, थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर द्वारा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की गई।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 241/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/64(1)/319(2) बीएनएस, धारा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट तथा धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान धारा 64(1) बीएनएस को लोप करते हुए धारा 69 बीएनएस की बढोतरी की गई।

दिनांक 05.04.2026 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त शादाब उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

शादाब पुत्र अफसर निवासी ग्राम कमालपुर थाना चाँदपुर बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना चांदपुर बिजनौर।
2. कां0 1877 अंकित कुमार थाना चांदपुर बिजनौर।
3. कां0 668 राजकुमार थाना चांदपुर बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेसनोट-थाना धामपुर

दिनांक 05.05.2026

**थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 148/2026 धारा 69 बीएनएस व धारा 67 आई0टी0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.05.2026 को वादिनी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त शीशपाल पुत्र बीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मिलक मुकीमपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ गलत कार्य किया गया तथा आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल की गयी ।

इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 148/2026 धारा 69 बीएनएस व धारा 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही -

आज दिनांक 05.05.2026 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त शीशपाल उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

शीशपाल पुत्र बीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मिलक मुकीमपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.प्रभारी निरी0 श्री मृदुल कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 यशवीर सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 3.का0 1940 अमित कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर



## जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना किरतपुर

दिनांक 05.05.2026

**थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 126/2026 धारा 2(ख)(i)/3(1) गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 04.05.2026 को थाना प्रभारी किरतपुर द्वारा अभियुक्तगण 1-सुम्मारा पुत्र तिलकराम उर्फ तिलका निवासी फैजीपुर सलेमपुर खादर थाना हीमपुर दीपा, जनपद बिजनौर 2- सूरज पुत्र अशोक उर्फ अमरनाथ निवासी ग्राम बुडगरा थाना किरतपुर, जनपद बिजनौर 3- शाकिब पुत्र मेंहदी हसन निवासी सपेरा बस्ती गंज जहानाबाद थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर 4- शिवकुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम बुडगरा थाना किरतपुर, जनपद बिजनौर हाल निवासी सपेरा बस्ती गंज थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर 5- परमेश्वरी उर्फ निम्मा पत्नी अशोक उर्फ अमरनाथ निवासी ग्राम बुडगरा थाना किरतपुर, जनपद बिजनौर 6- दीपक गोयल पुत्र स्व: विश्वनाथ गोयल निवासी मौहल्ला महाजनान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने भौतिक व आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से चोरी आदि जैसे जघन्य अपराध करना जिससे समाज में भय व आतंक का माहौल व्याप्त होने तथा लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न होने के संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 126/2026 धारा 2(ख)(i)/3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया ।



### कार्यवाही:-

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. शाकिब पुत्र मेंहदी हसन निवासी सपेरा बस्ती गंज जहानाबाद थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 2. दीपक गोयल पुत्र स्व: विश्वनाथ गोयल निवासी मौहल्ला महाजनान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. शाकिब पुत्र मेंहदी हसन निवासी सपेरा बस्ती गंज जहानाबाद थाना कोतवाली शहर, जनपद
2. दीपक गोयल पुत्र स्व: विश्वनाथ गोयल निवासी मौहल्ला महाजनान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त शाकिब-

1. मु0अ0सं0 95/2025 धारा 3(5)/309(4)/317(2)/61(2) बीएनएस चालानी थाना नागल बिजनौर
2. मु0अ0सं0 96/2025 धारा 3(5)/304(2)/317(2)/61(2) बीएनएस चालानी थाना नागल बिजनौर

3.मु0अ0स0 97/2025 धारा 3(5)/305(a)/317(2)/331(4)/61(2) बीएनएस चालानी थाना नागल बिजनौर

4.मु0अ0स0 99/2025 धारा 109(1)/3(5)//312/313/61(2) बीएनएस व 3/4/9/25/27 आर्म्स एक्ट  
चालानी थाना नागल बिजनौर

5.मु0अ0स0 72/2025 धारा 304(2)/317(2)/61(2) बीएनएस चालानी थाना को0देहात बिजनौर

6.मु0अ0स0 73/2025 धारा 304(2)/317(2)/61(2) बीएनएस चालानी थाना को0देहात बिजनौर

7.मु0अ0स0 139/2025 धारा 304/317(2)/61(2) बीएनएस चालानी थाना नगीना देहात बिजनौर

8.मु0अ0स0 156/2025 धारा 304(2)/317(2)/61(2) बीएनएस चालानी थाना किरतपुर बिजनौर

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त दीपक गोयल-

1.मु0अ0स0 72/2025 धारा 304(2)/317(2)/61(2) बीएनएस चालानी थाना को0देहात बिजनौर

2.मु0अ0स0 73/2025 धारा 304(2)/317(2)/61(2) बीएनएस चालानी थाना को0देहात बिजनौर

3.मु0अ0स0 139/2025 धारा 304/317(2)/61(2) बीएनएस चालानी थाना नगीना देहात बिजनौर

4.मु0अ0स0 156/2025 धारा 304(2)/317(2)/61(2) बीएनएस चालानी थाना किरतपुर बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. थानाध्यक्ष श्री पुष्पेन्द्र सिंह थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

2. उ0नि0 श्री दीपक नागर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

3. उ0नि0 श्री अर्जुन तोमर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

4. हे0का0 447 गौतम कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

5. का0 2592 सुमित कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

6. का0 287 चंद्रशेखर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

7. का0 2138 गौरव कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

8. का0 2103 शिवांक त्यागी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेसनोट-थाना अफजलगढ

दिनांक 05.05.2026

थाना अफजलगढ पुलिस ने मु0अ0स0 81/2026 धारा 137(2)/74 बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

**घटना एवं कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 29.04.2026 को वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त देवेन्द्र पुत्र देवीचन्द्र निवासी ग्राम फतेहपुर धारा थाना रेहड जनपद बिजनौर, वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0स0 81/2026 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा दिनांक



04.05.2026 को उपरोक्त अपहृता को सकुशल बरामद कर अभियुक्त देवेन्द्र उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है तथा उपरोक्त अभियोग में धारा 74 बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट की बढोतरी की गयी । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

देवेन्द्र पुत्र देवीचन्द्र निवासी ग्राम फतेहपुर धारा थाना रेहड जनपद बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम---**

1. उ0नि0 श्री मनवीर सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2. हे0का0 440 विपिन मान थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

